

## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-26/2018/

दिनांक :

समस्त,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त,  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय : 21 माह का सर्टिफिकेट कोर्स पर स्पेशलाइजेशन पूर्ण करने के पश्चात् पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा सम्बन्धित विशिष्टता में किये गये कार्य की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/एटी/प-2/2017/120 दिनांक 12.04.2017 (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न) द्वारा 21 माह का सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशलाइजेशन पूर्ण करने के पश्चात् आपके अधीन पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा सम्बन्धित विशिष्टता वाले विभाग में किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रपत्र में 15 दिवस में addguzar@gmail.com पर आवश्यक रूप से निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करें, ताकि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार प्रगति की समीक्षा की जा सकें।

| क्र.सं. | चिकित्सक का नाम मय विशिष्टता | पदस्थापन स्थान | कार्य ग्रहण की दिनांक | वर्तमान में किस विभाग में सेवायें ली जा रही है | विशिष्टता सम्बन्धी विभाग में किये गये कार्य का विवरण |
|---------|------------------------------|----------------|-----------------------|--|--|
| 1       | 2                            | 3              | 4                     | 5  | 6  |

नोट:- कॉलम संख्या 6 में चिकित्सक द्वारा किये गये विशिष्टता सम्बन्धी कार्य का विवरण आवश्यक रूप से अंकित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 5/2/18

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-26/2018/ 75  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. निजी सहायक, अति० निदेशक, राजपत्रित को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित को सूचना भिजवाने हेतु दूरभाष पर सूचित करें।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि पत्र को सम्बन्धित कार्यालय के ईमेल/विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।